Date 28.7.2009

छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2009 (श्रावण 7, 1931)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 2-10/2008/1-सूअप्र, दिनांक 15 जून, 2009 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हेमचन्द यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर का पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2007-08 (1 जुलाई, 2007 से 30 जून, 2008) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य, नगरपालिका बेमेतरा में अनियमितता व्याप्त होने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामदयाल उइके, सदस्य, सेन्ट्रल जेल बिलासपुर में विकलांग शिक्षक की मौत होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य-

(i) कोटा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत रतनपुर में संचालित शहीद नूतन सोनी शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल हेतु नवीन भवन निर्माण करने,

(ii) कोटा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत रतनपुर में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने,

(iii) कोटा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सारबहरा में हाईस्कूल भवन निर्माण करने,

(iv) कोटा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलगहना में अरपा नदी पर एनीकट निर्माण करने तथा

(v) जिला जांजगीर-चाम्पा के तहसील माल खरौदा अंतर्गत ग्राम आडिल में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगी.

5. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय

1 घंटा 30 मिनट (1) प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र सरलतापूर्वक न बन पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घंटा 30 मिनट (2) प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री देवजी पटेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर

दिनांक 28 जुलाई, 2009

देवेन्द्र वर्मा

सचिव.